पत्रांक : 09/अनु0 वि0–23–09/2026................

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

सेवा में,

राज्य के सभी सचिव/प्राचार्य/प्रधानाध्यापक,
स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय)।

पटना, दिनांक ....

विषय : **वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरांत स्थापना अनुमति की प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) को देय अनुदान राशि को उस संस्थान में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच समानुपातिक रूप से वितरण के संबंध में मार्गदर्शन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि संकल्प सं0–538 दिनांक–19.05.2009 द्वारा वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए स्थापना अनुमति की प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर महाविद्यालय (+2) को अनुदान देने के लिए नीति निर्धारित है।

2. उक्त संकल्प के कंडिका (viii) में उल्लेखित है कि:–"स्थापना की अनुमति/ प्रस्वीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को उपलब्ध कराये गये अनुदान का उपयोग निर्दिष्ट प्रबंध समिति/न्यास/नियमित निकाय/शासी निकाय के प्रबंध समिति द्वारा इन विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बैंक खाते के माध्यम से Account Payee Cheque द्वारा भुगतान किया जाएगा। प्रति सफल विद्यार्थी अनुदान देने का मुख्य उद्देश्य भी प्रबंध समिति को इस उद्देश्य हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। किसी भी परिस्थिति में अनुदान की राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।"

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1644 दिनांक–14.11.2023 के कंडिका 04 में उल्लेखित है कि :– "विभिन्न शैक्षिक संस्थानों यथा– माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (+2 महाविद्यालयों) में विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच प्राप्त अनुदान की राशि को समानुपातिक रूप से वितरण करने की जिम्मेवारी निर्दिष्ट समिति की होगी।"

4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता विनियमावली के अनुसार गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों यथा–माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (+2 महाविद्यालयों) के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पदानुक्रम निम्नवत होगी :–

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (+2 महाविद्यालयों)	
पदानुक्रम	**पद का नाम**
1	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
2	शिक्षक/व्याख्याता
3	प्रयोगशाला तकनीशियन/कम्प्यूटर सहायक/पुस्तकालायध्यक्ष/कार्यालय सहायक
4	केयर टेकर/ऑफिस एटेंडेंट (कार्यालय परिचारी/गार्ड)

ह०

5. उपरोक्त पदानुक्रम–01 को देय अनुदान राशि पदानुक्रम–02 से अधिक, पदानुक्रम–02 की देय अनुदान राशि पदानुक्रम–03 से अधिक एवं पदानुक्रम–03 को देय अनुदान राशि पदानुक्रम–04 से क्रमशः अधिक होगी।

6. **उदाहरणः**

उपर्युक्त प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है:–

6.1 यदि किसी शैक्षणिक संस्थान का नाम XYZ है और यदि उस संस्थान XYZ में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच समानुपातिक रूप से अनुदान वितरण हेतु उक्त शैक्षिक संस्थान में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को मासिक देय राशि सांकेतिक (Indicative) रूप में निम्नलिखित हो (संभावित) :–

क्र०सं०	पदनाम	इकाई	किसी संस्थान XYZ में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को मासिक देय राशि (यह राशि वास्तविक नहीं है बल्कि मात्र सांकेतिक (Indicative) है)
1	प्रधानाध्यापक	01	₹109.375/–
2	शिक्षक (अंग्रेजी)	01	₹96.875/–
3	शिक्षक (संस्कृत)	01	₹96.875/–
4	शिक्षक (हिन्दी)	01	₹96.875/–
5	शिक्षक (गणित)	01	₹96.875/–
6	शिक्षक (विज्ञान)	01	₹96.875/–
7	शिक्षक (मानविकी)	01	₹96.875/–
8	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	01	₹96.875/–
9	संगीत शिक्षिका	01	₹96.875/–
10	लिपिक	01	₹59.375/–
11	कार्यालय परिचारी	01	₹56.250/–
	कुल	11	₹1000/-

(उपर्युक्त मासिक देय राशि वास्तविक नहीं है, बल्कि सिर्फ उदाहरण के तौर पर किसी संस्थान की संभावित राशि के रूप में अंकित की गयी है–यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी संस्थान में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय राशि उपर्युक्त तालिका में अंकित राशि से भिन्न हो सकती है, अर्थात् वास्तविक मासिक देय राशि कंडिका–04 में विहित पदानुक्रम के शर्तों के अधीन इस तालिका से भिन्न (कम या अधिक) हो सकती है)

6.2 ऊपर उदाहरण में अंकित मासिक देय राशि के अनुसार शैक्षिक संस्थान XYZ को प्राप्त अनुदान की राशि को समानुपातिक रूप से वितरण करने की प्रक्रिया नीचे अंकित उदाहरण में वर्णित है। यदि शैक्षिक संस्थान XYZ में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए रूपये 30,000/–(तीस हजार) अनुदान प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच अनुदान राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाएगा:–

यदि किसी शैक्षणिक संस्थान XYZ को सत्र हेतु प्राप्त कुल अनुदान राशि ₹ 30,000/– उपरोक्त मासिक देय राशि का कुल योग:–

109.375+(8 x 96.875) + 59.375+56.250= ₹1000/-

वितरण सूत्र:–

$$\text{किसी शिक्षक/कर्मी को प्राप्त होने वाली राशि} = \frac{\text{संबंधित कर्मी को मासिक देय राशि X प्राप्त कुल अनुदान राशि}}{\text{कुल मासिक देय राशि का योग}}$$

शैक्षिक संस्थान XYZ में कार्यरत एक शिक्षक को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि–

$$\frac{96.875 \times 30,000}{1,000} = ₹\ 2,906.25$$

उपरोक्त सूत्रण के अनुसार उपरोक्त शैक्षणिक संस्थान XYZ को प्राप्त कुल अनुदान राशि का वितरण शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच निम्नवत् किया जाएगाः–

क्र०सं०	पदनाम	मासिक देय राशि(रुपये में)	समानुपातिक प्रतिशत (%)	संस्थान XYZ में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय अनुदान राशि एक शैक्षणिक सत्र के लिए (अंकित राशि सिर्फ उदाहरण के लिए है।)
1	प्रधानाध्यापक	₹109.375/–	10.93	₹3281.25
2	शिक्षक (अंग्रेजी)	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
3	शिक्षक (संस्कृत)	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
4	शिक्षक (हिन्दी)	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
5	शिक्षक (गणित)	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
6	शिक्षक (विज्ञान)	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
7	शिक्षक (मानविकी)	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
8	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
9	संगीत शिक्षिका	₹96.875/–	9.69	₹2906.25
10	लिपिक	₹59.375/–	5.93	₹1781.25
11	कार्यालय परिचारी	₹56.250/–	5.62	₹1687.50
कुल		₹1000/–	100	₹30,000

7. अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (+2 महाविद्यालय) में विधिवत रूप से कार्यरत एवं नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच अनुदान राशि का समानुपातिक रूप से वितरण करने की जिम्मेवारी उस संस्थान में गठित निर्दिष्ट समिति की होगी।

8. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच अनुदान की राशि के वितरण से पूर्व संबंधित संस्थान की प्रबंध समिति/शासी निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी द्वारा विद्यालय में विधिवत रूप से कार्य किया गया है, वे नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं तथा उनकी उपस्थिति विद्यालय के उपस्थिति पंजी में विधिवत रूप से दर्ज है।

9. वर्तमान शैक्षणिक सत्र से संबंधित संस्थानों के प्रबंध समिति/शासी निकाय बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमैट्रिक मशीन का अधिष्ठापन आंतरिक स्रोतों से करेंगे तथा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी की उपस्थिति उक्त बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2026–27) से अनुदान वितरण की कार्रवाई बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

3/

ज्ञापांक : 09 / अनु0 वि0–23–09 / 2026.......... **पटना, दिनांक**......................

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव, एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांकः 09 / अनु0 वि0–23–09 / 2026...1119 **पटना, दिनांक**..20/07/2026

प्रतिलिपिः सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं राज्य में सभी अनुदानित शिक्षण संस्थानों के निर्दिष्ट प्रबंध समिति / न्यास / निगमित निकाय एवं शासी निकाय के प्रबंधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.26
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।